

रिपोर्ट पटवारी हत्या / आर.ए.ए.आर.ओ
 आवेदन पत्र के अन्तर्गत में नाम की गई। जिसके अनुसार
 1485
 18/11/24

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पेषित कर विवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियोग्य की जाती है / की जाती है।

21229

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 18/11/24

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1.	मिशोरवा	2075-79	123	लीलाराम पु. महाकीर उमाद जाति गुपरी	लीलाराम खड्गवा पु. महाकीर उमाद जाति गुपरी
2.	—	—	276	लीलाराम पु. मांग जाति गुपरी	—

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 18/11/24

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1184-85

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी